संख्या : 286/नौ–9–2014–161ज/12

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक || मार्च, 2014

विषयः 4जी ब्राडबैण्ड वायर लाइन/वायरलेस ऐक्सेस सर्विस प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1485/नौ–9–2012–161ज/12 दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 4जी ब्राडबैण्ड वायर लाइन/वायरलेस ऐक्सेस सर्विस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नागर निकायों की भूमि पर भूमिगत आप्टिकल फाइबर/डक्ट डालने अथवा भूमि से ऊपर ओवरहेड केबिलिंग के लिये स्थल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 में धारा 128/129 एवं उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–124 में सम्पत्ति अन्तरण विषयक प्राविधान एवं इनफोटेल ब्राडबैण्ड सर्विसेज लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं के दृष्टिगत एच0डी0डी0 विधि से आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने, ग्राउण्ड बेस्ड मास्ट स्थापित करने तथा ओवर हेड वायर के लिये पोल लगाने के सम्बन्ध में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना प्रौद्यौगिकी के विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऐसी निजी संस्थाओं को, जो आप्टिकल फाइबर बिछाना चाहती हैं, अधिकतम सुविधाएं प्रदान किये जाने तथा ऐसी निजी संस्थाओं को, आप्टिकल फाइबर बिछाने व उसका अनुरक्षण की अनुमति प्रदान करने हेतु, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति) अधिनियम–2001 लागू किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत राज्य सरकार को

किसी लाइसेन्सधारी को, किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ–साथ, आर–पार, अन्दर या उस पर आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा–5(2) में राज्य सरकार को ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह उचित समझे, विहित निर्बन्धनों और शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर सकने की व्यवस्था है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूर संचार विभाग के आदेश संख्या एफ0एन0पी0–11014/13/2008–पी0पी0 दिनांक 12 जून, 2010 द्वारा इन्फोटेल ब्राडबैण्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के लिये ब्राडबैण्ड वायरलेस ऐक्सेज सर्विस के लिये अधिकृत किया गया है। भारत सरकार–कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, महाराष्ट्र, मुम्बई से निर्गत नाम परिवर्तन सम्बन्धी निगर्मन प्रमाण पत्र के दृष्टिगत इन्फोटेल ब्राडबैण्ड सर्विस लि0 का नाम परिवर्तन करते हुये रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0 कर दिया गया है।

3. रिलायन्स जियो इन्फोकाम लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार को निम्नलिखित सेवायें/सुविधायें भी प्रदान की जायेगी :–

(1) सरकारी भूमि पर लगाये जाने वाले मास्ट पर सर्विलान्स कैमरा कम्पनी द्वारा निःशुल्क लगाया जायगा ,जो पुलिस कन्ट्रोल रूम से जोड़े जायेंगे। कम्पनी द्वारा 15 वर्षो तक सर्विलान्स कैमरे की कनेक्टीविटी मुफ्त प्रदान की जायेगी।

(2) कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय,एनेक्सी भवन,बापू भवन, राजभवन, जनपथ, इन्द्राभवन और मुख्यमंत्री आवास पर 4$^{जी}$ ब्रॉडबैण्ड सेवा की कनेक्टीविटी (2एमबीपीएस तक)15 वर्षो तक निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

(3) कम्पनी द्वारा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, जहॉ कम्पनी की सेवॉए उपलब्ध करायी जा रही है, प्रत्येक छः मंजिल या उससे अधिक मंजिल के भवनों में एक फॉयर अलार्म बाक्स निःशुल्क लगाकर कन्ट्रोल रूम से जोड़ा जायगा।

(4) कम्पनी द्वारा जिन शहरों में 4$^{जी}$ ब्रॉडबैण्ड सेवॉए उपलब्ध करायी जा रही है,ऐसे प्रत्येक शहर के 04 पार्कों (पार्को की उपलब्धता पर) का अनुरक्षण एवं विकास कार्य कराया जायेगा।

4. अतः संचार कान्ति का लाभ उत्तर प्रदेश में जन सामान्य को उपलब्ध कराने हेतु 4$^{जी}$ ब्राडबैण्ड सेवा प्रदेश में लागू करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1485/नौ–9–2012–161ज/12 दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 द्वारा उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में आ रही कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयों तथा क्षेत्रों से की जा रही कतिपय पृच्छाओं के दृष्टिगत उक्त शासनादेश में कतिपय स्पष्टीकरण, संशोधन एवं नई शर्तो का उल्लेख करते हुये निम्नानुसार उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है:–

(1) अनुमति प्राप्त करने के लिए कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र के साथ वार्डवार मानचित्र पर पूर्ण विवरण चिन्हांकित करते हुए स्थलों और कार्यो की सूची

प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें ऐसी भूमि की अवस्थिति, आकार एवं अन्य अपेक्षित सूचनायें निहित होगीं।

(2) आवेदन–पत्र के साथ, मास्ट/पोल की ऊँचाई, ट्रेंच की गहराई, लम्बाई, केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि का आकार, जिसमें लम्बाई, चौड़ाई, गहराई आदि का उल्लेख हो और संरचना आदि का विवरण भी संलग्न करना होगा। अन्य कोई विशिष्टियॉ, जो निकाय द्वारा अपेक्षित हों, भी संलग्न की जायेंगी।

(3) अनुमति ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए दी जायेगी जो लोक सुरक्षा और जन सुविधा के हित में हो।

(4) अनुमति केवल उसी अवधि के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गई हो।

(5) प्रदान की गई अनुमति अन्तरणीय नहीं होगी।

(6) मार्ग के लिए खुली, छोड़ी गई भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों के लिए स्वतन्त्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी।

(7) ऐसे स्थलों जहां यातायात हेतु दृश्यता में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहां मास्ट या पोल लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(8) जहां इनसे स्थानीय नगरीय सुविधायें प्रभावित हों वहॉ अनुमति नहीं दी जाएगी।

(9) मास्ट लगाने हेतु जमानत राशि नगर पंचायत में रू0 5000.00, नगर पालिका परिषद में रू0 7000.00 एवं नगर निगम में रू0 10000.00 अग्रिम रूप में कम्पनी द्वारा सम्बन्धित निकाय को प्रति मास्ट भुगतान किया जायेगा। इसके पश्चात ही सम्बन्धित निकाय द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जाएगा।

(10) इसी प्रकार ओवरहेड वायर के लिये पोल स्थापित करने हेतु जमानत राशि नगर पंचायत में रू0 1000.00, नगर पालिका परिषद में रू0 1500.00 एवं नगर निगम में रू0 2000.00 कम्पनी द्वारा सम्बन्धित निकाय को प्रति पोल भुगतान किया जाएगा।

(11) मास्ट लगाने हेतु देय किराया का निर्धारण सम्बन्धित निकाय द्वारा तत्समय प्रभावी दर पर नियमानुसार किया जायेगा।

(12) कम्पनी द्वारा केबिल बिछाने के लिये HDD (Horizontal Directional Drilling) तकनीकी के उपयोग के साथ Micro Trenching Technology से भी कार्य कराया जायेगा। Micro Trenching Technology से कार्य पूर्ण होने के पश्चात सतह को पुनर्स्थापित करने में लगभग 12 घण्टे का ही समय लगेगा।

(13) कम्पनी द्वारा HDD तकनीकी से की गई कटिंग को कार्य पूर्ण होने के पश्चात अधिकतम 72 घण्टे में गुणवत्तापरक पुनर्स्थापना, निकाय की सन्तुष्टि और विशिष्टताओं के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी। नियत अवधि में अनुपालन न

होने की स्थिति में सम्बन्धित निकाय पुनर्स्थापन व्यय दण्ड सहित वसूल करेगा और पुनर्स्थापन कार्य करायेगा।

(14) कम्पनी द्वारा विभिन्न सम्बन्धित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(15) आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने के लिए 2मी0 X 2मी0 आकार का 1.5 मीटर गहराई का गड्ढा लगभग 100 मीटर दूरी के अन्तर पर खोदा जायेगा। विशेष परिस्थिति में गहराई 2 मी0 से 4 मी0 तक हो सकती है।

(16) खोदे गये गड्ढे को चारों ओर से बैरिकेटिंग/टीन आदि लगाकर सुरक्षित किया जायेगा ताकि गड्ढे में कोई व्यक्ति/बच्चा अथवा जानवर आदि न गिर जाये। सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्ण उत्तरदायित्व कम्पनी का होगा।

(17) भूमिगत केबिल बिछाते समय अन्य भूमिगत सेवाओं और सुविधाओं को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी। यदि ऐसी सुविधाओं को क्षति पहुँचती है तो सम्बन्धित सेवा प्रदाता द्वारा उसे ठीक कराया जायेगा। इस कार्य में आने वाला समस्त व्यय कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा।

(18) आवश्यकता पड़ने पर निकाय के निर्देश पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल नियत समय में बदलने अथवा केबिल/मास्ट के स्थल परिवर्तन करने का समस्त व्यय–भार कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा तथा इस हेतु कम्पनी को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(19) निकाय कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निर्वहन के समय आप्टिकल फाइबर केबिल को पहुँची क्षति के लिये उन्हें अथवा नगरीय निकाय को उत्तरदायी नहीं माना जायेगा।

(20) कम्पनी द्वारा किसी मास्ट, पोल अथवा केबिल की मरम्मत के लिए की जाने वाली खुदाई आदि की सूचना देना होगा और मरम्मत के पश्चात स्थल को मूल स्थिति में लाना होगा।

(21) ग्राउन्ड बेस्ड मास्ट (जीबीएम) की स्थापना हेतु अधिकतम 3मी0 X 3मी0 की भूमि चिन्हित स्थलों पर स्थल की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराई जायेगी। दो मास्ट के मध्य की दूरी 150 मीटर से कम लाइन ऑफ साइट में नही होगी।

(22) ग्राउन्ड बेस्ड पोल (जीबीपी) के लिए निर्दिष्ट स्थान पर स्थल की उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 1मी0X1मी0 का स्थल सड़क पटरी के आत्यन्तिक किनारे, जहाँ यातायात एवं आवागमन बाधित न हो, उपलब्ध कराया जायेगा। दो पोल के मध्य न्यूनतम दूरी 20 मीटर होगी। इसकी अधितम ऊँचाई 5 मीटर होगी।

(23) मास्ट की ऊँचाई 25 मीटर से अधिक होने पर उसका तकनीकी परीक्षण प्रतिष्ठित तकनीकी संस्था से कराना अनिवार्य होगा तथा आवश्यकतानुसार

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(24) मास्ट, पोल अथवा केबिल की स्थापना, मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात जन सुरक्षा का पूर्ण दायित्व कम्पनी का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना या क्षति और उसके परिणामों के लिए कम्पनी जिम्मेदार होगी। कम्पनी द्वारा समस्त सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जायेगा।

(25) मास्ट, पोल की स्थापना की अनुमति देने से पूर्व नागर निकाय द्वारा निर्धारित समस्त देयों का भुगतान अनुबन्धित शर्तों के अनुसार कम्पनी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

(26) जहॉ नगर निकाय के मार्ग प्रकाश सम्बन्धी पोल पूर्व से स्थापित हैं वहॉ निर्धारित शुल्क लेकर इन पोलों के उपयोग की अनुमति कम्पनी को दी जा सकेगी।

(27) कम्पनी द्वारा स्थापित मास्ट और पोल का उपयोग नागर निकाय द्वारा मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जा सकेगा। इस हेतु कम्पनी को कोई शुल्क देय नहीं होगा। मार्ग प्रकाश सम्बन्धित समस्त उपकरण आदि (मरम्मत सहित) नागर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। इस पर आने वाला विद्युत व्यय–भार निकाय द्वारा वहन किया जायेगा। मास्ट और पोल पर मार्ग प्रकाश बिन्दुओं की स्थापना और मरम्मत का कार्य कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

(28) कम्पनी द्वारा गृह विभाग की अनुमति से मास्ट, जो सरकारी भूमि पर स्थापित किये गये हैं, पर सिक्योरिटी सर्विलांस कैमरा अपने व्यय पर स्थापित किये जायेंगे और पुलिस नियन्त्रण कक्ष से जोड़े जा सकेंगे।

(29) यदि कम्पनी द्वारा मास्ट या पोल पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है अथवा विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिये किसी को अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाता है तो इस हेतु कम्पनी को निकाय की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा निकाय के नियमों/प्राविधानों का पालन करना होगा व निकाय द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप विज्ञापन कर का भुगतान करना होगा।

(30) कम्पनी और निकाय के बीच किसी विवाद की स्थिति में मण्डल के आयुक्त का निर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(31) समस्त नियमों, शर्तो और देयों के भुगतान के सम्बन्ध में नागर निकाय और कम्पनी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

(32) प्रदेश में केबिल बिछाने हेतु अनुरक्षण कार्य के लिये कम्पनी द्वारा निर्मित मेनहोल पर निकाय द्वारा किराया/शुल्क का निर्धारण किया जाना भारत सरकार के टेलीकाम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश के विपरीत होगा। अतः कम्पनी द्वारा अनुरक्षण कार्य के लिये निर्मित किये जा रहे मेनहोल पर किराया/शुल्क न लेते हुये केबिल बिछाने की अनुमति शीघ्र प्रदान की जाय।

5. 4जी ब्राडबैण्ड वायर लाइन/वायरलेस ऐक्सेस सर्विस प्रदान करने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश सम्पूर्ण प्रदेश में समस्त विभागों पर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। उक्त शर्ते किसी अन्य 4जी सेवा प्रोवाइडर के लिये भी मान्य होगी,बशर्ते ऐसे लाइसेन्सधारक को विहित निर्बन्धनों और शर्तो के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। अतः 4जी ब्राडबैण्ड वायर लाइन/वायरलेस ऐक्सेस सर्विस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या 286(1)/नौ–9–2014–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम एवं अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
6. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

11/3/2014
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।